कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद

पत्रांकः शि0स0/मान्यता/ 1114-15 /2021-22 दिनांक 25/6/2021

प्रबन्धक,
दिल्ली पब्लिक स्कूल, साहिबाबाद टीला शहवाजपुर,
लोनी, गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.06.2021 द्वारा विद्यालय को स्थाई मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता 4998-99/2018-19 दिनांक 05.07.2018 द्वारा विद्यालय को कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय द्वारा मान्यता आदेश में दी गयी शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति दिनांक 25.06.2021 के आधार पर तथा विद्यालय के विरूद्व कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से चलाने की अनुमति दी जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थाई मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा। अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ब्रज भूषण चौधरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृ0सं0/मान्यता/ /2021-22 दिनांक-उक्तवत्।
प्रतिलिपि- खण्ड शिक्षा अधिकारी लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

माध्यम–अंग्रेजी

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

गाजियाबाद।

प्रेष्य,

प्रबन्धक,

दिल्ली पब्लिक स्कूल साहिबाबाद टीला शहवाजपुर

गाजियाबाद।

पत्रांक/मान्यता–शि0स0/ 4998-99 /2018–19 दिनांक: 05/7/18

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके मान्यता हेतु आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से दिल्ली पब्लिक स्कूल साहिबाबाद टीला शहवाजपुर गाजियाबाद को कक्षा–नर्सरी से कक्षा–8 तक हेतु दिनांक 01.04.2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 22.06.2018 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति अनुमोदन के आधार पर औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ:–

1. मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्गों और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. प्रस्तर–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण, धर्म, जाति, अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर प्रवेश देने से इंकार नही करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा–

(एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

(दो) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जाएगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पॉच) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(छैः) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।